मण्डल:- गोरखपुर,जनपद:- महाराजगंज,तहसील:- फरेन्दा

न्यायालय उपजिलाधिकारी

वाद संख्या:- 6013/2022

ओमशिक्षा एवं ट्रस्ट आनन्दनगर जरिये मुख्यन्यासी / अध्यक्ष बजरंग बहादुर सिंह   बनाम   उ0 प्र0 स०

कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202205470406013

अंतर्गत धारा:- 80,उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 24/11/2022

अंतिम आदेश

वादी ओमशिक्षा एवं सेवा ट्रस्ट आनन्दनगर तहसील फरेन्दा जनपद महराजगंज जरिये मुख्यन्यासी / अध्यक्ष बंजरंग बहादुर सिंह पुत्र स्व0 परमेश्वर सिंह साकिन मरहठा तहसील कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर के निवासी है द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 राजस्व संहिता, 2006 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया कि आराजी मौजा मधुकरपुर महदेवा तप्पा लेहड़ा के आराजी नं0 798 रकबा 3.676है0 मे से रकबा 0.810है0 उक्त भूमि मे सामने की तरफ से 5 फुट उची दीवाल चली हुई है। वर्तमान समय मे भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। अन्त मे उक्त आराजी नं0 798 रकबा 3.676है0 मे से रकबा 0.810है0 को अकृषिक घोषित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

वादी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से जॉच करायी गयी तहसीलदार ने प्रार्थना पत्र की जॉच क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार से कराकर अपनी आख्यामय नजरी नक्शा दिनॉक 12.10.2022 को प्रस्तुत की। तहसीलदार द्वारा अपनी आख्या मे स्पष्ट किया गया है कि आराजी मौजा मधुकरपुर महदेवा तप्पा लेहड़ा के आराजी नं0 798 रकबा 3.676है0 मे से रकबा 0.810है0 उक्त भूमि मे सामने की तरफ से 5 फुट उची दीवाल चली हुई है। वर्तमान समय मे भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। अन्त मे उक्त आराजी नं0 798 रकबा 3.676है0 मे से रकबा 0.810है0 को अकृषिक किये जाने की संस्तुति की गयी है। दिनॉक 24.11.2022 को वादी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की फरेन्दा शाखा मे राजकीय कोष चालान नं0 7001 /01/K000006 से अकृषिक शुल्क रू0 38900 जमा किया गया है। चालान की रसीद संलग्न पत्रावली है।

तहसीलदार की आख्या दिनॉक 12.10.2022 से स्पष्ट है कि आराजी मौजा मधुकरपुर महदेवा तप्पा लेहड़ा के आराजी नं0 798 रकबा 3.676है0 मे से रकबा 0.810है0 उक्त भूमि मे सामने की तरफ से 5 फुट उची दीवाल चली हुई है। वर्तमान समय मे भूमि पर कृषि कार्य नही होता है। अन्त मे उक्त आराजी नं0 798 रकबा 3.676है0 मे से रकबा 0.810है0 को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2019 धारा 80 का संशोधन धारा 80(2) के अन्तर्गत यदि भूमिधर इस उप धारा के अधीन घोषणा के दिनॉक से पॉच वर्ष के अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने मे विफल रहता है, तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। इस उपधारा के अधीन घोषणा भू-उपयोग परिवर्तन की कोटि मे नही होगी और उक्त भूमि निरन्तर कृषि भूमि के रूप मे ही समझी जायेगी। तथापि भूमिधर ऐसी जोत या उसके आंशिक भाग, जिसके लिए इस उपधारा के अधीन घोषणा प्राप्त की गयी हो, पर प्रस्तावित गतिविधि अथवा परियोजना के लिए ऋण और अन्य आवश्यक अनुज्ञाएं, समाशोधन आदि प्राप्त करने का हकदार होगा।

आदेश

- अतः उ0 प्र0 राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2019 धारा 80 की उपधारा 80(2) के अन्तर्गत तहसीलदार की आख्या दिनॉक 12.10.2022 के आधार पर ग्राम मधुकरपुर महदेवा तप्पा लेहड़ा के आराजी नं0 798 रकबा 3.676है0 मे से रकबा 0.810है0 भूमि भू-राजस्व रू0 16.37 पर दर्ज ओमशिक्षा एवं सेवा ट्रस्ट आनन्दनगर तहसील फरेन्दा जनपद महराजगंज जरिये मुख्यन्यासी / अध्यक्ष बंजरंग बहादुर सिंह पुत्र स्व0 परमेश्वर सिंह साकिन मरहठा तहसील कैम्पियरगंज जनपद गोरखपुर को अस्थायी रूप से अकृषिक घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी किया जाय। आदेश की प्रति उप निबन्धक फरेन्दा को भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखालय की जावे।

सत्यप्रतिलिपि

उप जिलाधिकारी
फरेन्दा-महराजगंज।

प्रतिलिपि कर्ता

तुलना कर्ता